


09.09.2025

अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण अनुपस्थित। पत्रावली वादियागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता की बहस हेतु नियत है किन्तु पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित नहीं होने से बहस नहीं सुनी जा सकी। पत्रावली लक्षित प्रकरणों की सूची में 55 वें नंबर पर है, जिसका शीघ्र निस्तारण अपेक्षित है। अतः आगामी पेशी पर उभय पक्ष अधिवक्तागण प्रार्थना पत्र पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते उचित आदेश/बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2025 को पेश हो।

  
**अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1**  
**झुंझुनूं**